प्रेषक, संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A3-115/2020

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड

देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 660 मान्यता/के0पू0/2019-20 दिनांक 04 सितम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा शहीद पवन सिंह सुगड़ा, राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ को बी0ए0 पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 से 2021-22 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- तदनुसार महाविद्यालय के अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय को निम्न तालिका में उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	शहीद पवन सिंह सुगड़ा, राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र)	सत्र 2019-20 हेतु 187 सीट सत्र 2020-21 हेतु 80 सीट प्रति विषय	शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों को पूर्ण करने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- महाविद्यालय के समस्त मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय इस सचिवालय के पत्र सं0- 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

3- यद्यपि उक्त महाविद्यालय के मानक अपूर्ण हैं तथापि मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा छात्रहित में सत्र 2019-20 एवं 2020-21 हेतु कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत् महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व छात्रहित में यू0जी0सी0/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेगी।

4- शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रस्ताव उचित प्रारूप पर यथा समय प्रेषित किया जाए।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1660 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-115/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
03. प्राचार्य, शहीद पवन सिंह सुगड़ा, राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।
04. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।